राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जे0एन0मथुरिया(आर0ए0एस0)

आर.सी.एम.एस 2016/00111
अपील संख्या 106/2016 (225 आर.टी.एक्ट)
उनवान

1– रामप्रकाश पुत्र चन्दन सिंह जाति जाट निवासी ग्राम बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

2– भगवान सिंह पुत्र चन्दन सिंह जाति जाट निवासी ग्राम बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

3– रुपसिंह पुत्र चन्दन सिंह जाति जाट निवासी ग्राम बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

————————अपीलांट

बनाम

1– विजय सिंह पुत्र बहरोन जाति जाटव निवासी ग्राम बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

2– प्रताप सिंह पुत्र बहरोन जाति जाटव निवासी ग्राम बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

3– बच्चू सिंह पुत्र बहरोन जाति जाटव निवासी ग्राम बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

4– अशोक पुत्र बहरोन जाति जाटव निवासी ग्राम बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

5– लेखराज पुत्र बहरोन जाति जाटव निवासी ग्राम बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

6– ओम सिंह पुत्र बहरोन जाति जाटव निवासी ग्राम बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

7– जीत सिंह पुत्र बहरोन जाति जाटव निवासी ग्राम बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

————————रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.6.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर मु0 न0 10/2015 उनवानी विजय सिंह बनाम रामप्रकाश

उपस्थिति :– वकील अपीलांट श्री प्रमोद कुमार उपमन
वकील रेस्पो. श्री तालेराम एड0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 08.01.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 2100/0.06, 2101/0.23, 2108/0.24, 2109/0.24, 2151/0.18, 2155/0.26, 2156/0.19 किता 7 रकवा 1.40 है0 वाके ग्राम बछामदी न0 2 तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के निणय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाई गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा मे कैम्प कोर्ट मे ले जाकर पारित किया गया है। जबकि लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट में निर्णय केवल सहमति से ही पारित किया जा सकता है। विवादित आराजी अपलार्थी की खातेदारी की भूमि है जिस पर अपीलार्थी को पाबन्द नही किया जा सकता। म्याद के बिन्दू पर प्रकट किया कि अपीलार्थी काफी समय तक बीमार रहने के कारण अपील पेश नही कर सका। अतः म्याद का शमन किया जाकर अपील को मैरिट पर निर्णित किया जावे एवं अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

बचाव मे वकील प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को निर्णय का भलि भाति ज्ञान था और बीमारी जिसके आधार पर म्याद मे छूट चाही गई है के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नही की है। ऐसी दशा में अपील प्रथम तो म्याद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है एवं मैरिट पर भी अपील चलने योग्य नही है। क्योकि प्रत्यर्थी ने सैटलमन्ट द्वारा की गई गलत प्रविष्टियो के आधार पर घोषणा चाही है। ऐसी दशा मे यदि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को वेदखल कर दिया जाता है अथवा आराजी को रहन बय कर दिया जाता है तो अपूरणीय क्षति प्रत्यर्थी के पक्ष मे ही प्रकट है अतः अपील खारिज की जावे ।

बहस के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी का वाद घोषणा का था। जब सैटलमंट की गलत प्रविष्टियो के कारण घोषणा चाही गई हो और वादी प्रत्यर्थी का कब्जा प्रथम दृष्टया सावित हो तो ऐसे मामले मे अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य प्रकट नहीं होने से खारिज की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 8.1.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official